प्रारंभिक परीक्षा

कमजोर स्थिति वाले शहरी सहकारी बैंकों का SAF से PCA फ्रेमवर्क में परिवर्तन

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय रूप से कमजोर शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को मजबूत करने हेतु SAF को PCA ढांचे से बदलने का निर्णय लिया है।

शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के बारे में -

- **UCBs वित्तीय संस्थान हैं जो भारत में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं।**
- UCBs संबंधित अधिनियम के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं:
    - **राज्य सहकारी समिति अधिनियम** (एकल-राज्य संचालन के लिए) या
    - **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (**कई राज्यों में संचालन के लिए) के तहत।
- **विनियमन**: **UCBs** दोहरे नियामक ढांचे के तहत काम करते हैं:
    - **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949**: 1966 से, आरबीआई लाइसेंसिंग, पूंजी पर्याप्तता, ऋण नीतियों और वित्तीय स्थिरता के संबंध में **UCBs** की निगरानी कर रहा है।
        - **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020** ने RBI को **UCBs** पर अधिक नियंत्रण दिया है, जिससे उसे उनके प्रबंधन और शासन में हस्तक्षेप करने की अनुमति है।
    - **सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार** (**RCS**): संबंधित राज्य सरकारें या केंद्र सरकार **RCS** के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करती हैं।
- **भारत की प्रथम शहरी सहकारी ऋण समिति "अन्योन्या सहकारी मंडली" थी, जिसकी स्थापना 1889 में बड़ौदा में हुई थी।**
- **UCBs की श्रेणियाँ**:
    - **टियर 1** - 100 करोड़ रुपये तक की जमा राशि।
    - **टियर 2** - 100 करोड़ रुपये से अधिक और 1,000 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि।
    - **टियर 3** - 1,000 करोड़ रुपये से अधिक और 10,000 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि।
    - **टियर 4** - 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचे के बारे में -

- **यह आरबीआई द्वारा बैंकों में वित्तीय तनाव को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पर्यवेक्षी उपकरण है।**
- **निगरानी के मुख्य क्षेत्र:** पर्याप्त पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता।
- **यह पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (SAF) का स्थान लेगा, जिसे 2012 में लाया गया था।**
- **PCA लागू करने की शर्तें**:
    - **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर):** यदि सीएआर आवश्यक स्तर से 250 आधार अंक (बीपीएस) तक नीचे गिर जाता है।
    - **परिसंपत्ति गुणवत्ता (शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां - NPAs):** यदि शुद्ध **NPAs** 6% से अधिक है, लेकिन कुल अग्रिमों के 9% से नीचे रहती है।
    - **लाभप्रदता**: **यदि UCBs को लगातार दो वर्षों तक घाटा होता है।**
- **आवेदन**: टियर 2, टियर 3 और टियर 4 श्रेणियों के सभी **UCBs पर लागू।**

स्रोत:

- The Hindu - UCBs

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

संदर्भ

भारत सरकार द्वारा **राष्ट्रीय गोकुल मिशन** और अन्य पहलों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप **पिछले दशक में दूध उत्पादन में 63.5% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।**

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के बारे में -

- **RGM को दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम(NPBBDD) के तहत लॉन्च किया गया था।**
- यह स्वदेशी गोजातीय नस्लों के वैज्ञानिक संरक्षण, नस्ल सुधार और उत्पादकता वृद्धि पर केंद्रित है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी), मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय।
- यह स्वदेशी मवेशी प्रजनन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करता है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत प्रमुख पहल -

- **सीमन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण:**
  - **उद्देश्य:** पशु प्रजनन के लिए सीमन उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना।
  - **RGM** के वित्तपोषण से भारत भर में 47 सीमन केन्द्रों को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाया गया है।
- **सेक्स-सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधा:**
  - सेक्स-सॉर्टेड सीमन प्रौद्योगिकी यह सुनिश्चित करती है कि पैदा होने वाले 90% बछड़े मादा हों, जिससे उत्पादकता में सुधार होता है।
  - **RGM** के अंतर्गत सेक्स-सॉर्टेड सीमन की 58.67 लाख खुराकें उत्पादित की गई हैं।
- **IVF प्रयोगशालाओं की स्थापना:**
  - स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए **भारत में पहली बार गोजातीय IVF तकनीक का उपयोग** किया जा रहा है।
  - **22 IVF प्रयोगशालाएं** स्थापित की गई हैं।
- **ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAITRI):**
  - **38,736 MAITRI** को किसानों के घर पर कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।
- **राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र (NKBCs):**
  - **दो राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र** स्वदेशी नस्लों के लिए जर्मप्लाज्म भंडार के रूप में काम करते हैं:
  - केंद्र इटारसी (मध्य प्रदेश) और नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) में स्थित हैं।
- **स्वदेशी जीनोमिक चिप का शुभारंभ:**
  - प्रजनन के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों की पहचान करने के लिए RGM के तहत एक जीनोमिक चिप विकसित की गई है।

तथ्य

- **भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। यह दुनिया के उत्पादन का 25% उत्पादन करता है।**
- विदेशी नस्लों के लिए औसत राष्ट्रीय दूध उत्पादन 8.55 किलोग्राम/दिन है, और देशी पशुओं के लिए 3.44 किलोग्राम/दिन है।
- भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम/दिन है, जो वैश्विक औसत 323 ग्राम/दिन से अधिक है।
- **शीर्ष 5 राज्य:** उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश -
    - वे कुल उत्पादन में 53% से अधिक का योगदान करते हैं।

स्रोत:

- **PIB - Rashtriya Gokul Mission**

शनि के चंद्रमाओं की संख्या 274 तक पहुंची

संदर्भ

हाल ही में खगोलविदों ने **शनि की परिक्रमा करते हुए 128 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे शनि के कुल चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई है।**

शनि के बारे में -

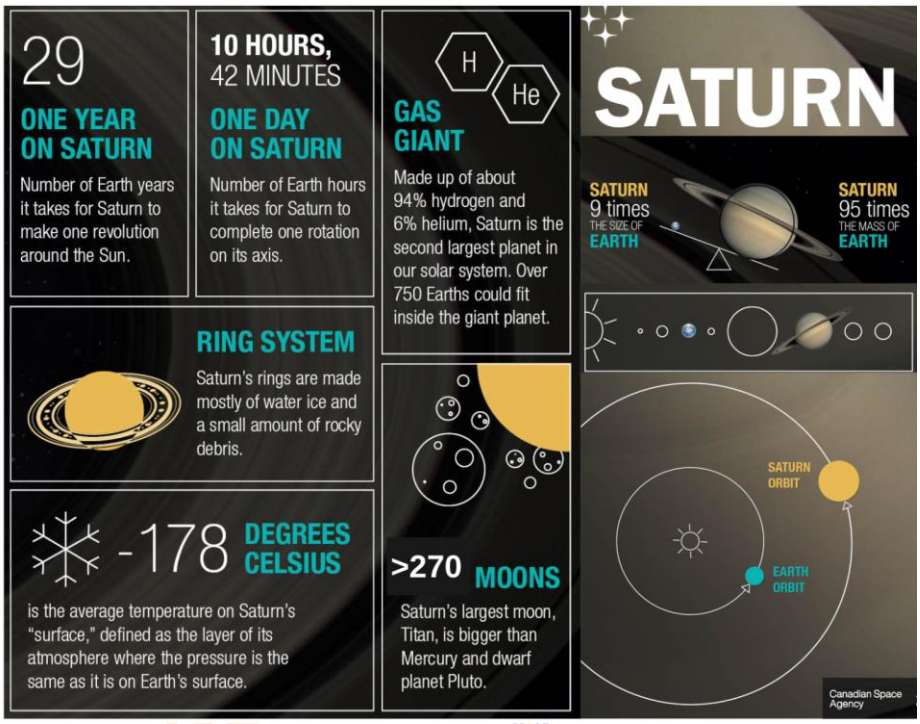

- **शनि सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।**
- यह हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक गैसीय विशाल ग्रह है।
- **यह हमारे सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है।**
- हमारे सौरमंडल में **शनि के सबसे ज़्यादा चंद्रमा हैं (146)**
- **इसका चंद्रमा, टाइटन, बृहस्पति के गैनीमीड के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है।**
- शनि का तेज़ घूर्णन इसे चपटा आकार देता है। यह ध्रुवों पर चपटा है और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है।

खोज प्रक्रिया एवं प्रयुक्त तकनीकें -

- यह खोज कनाडा-फ्रांस-हवाई टेलीस्कोप से पहले किए गए अवलोकनों पर आधारित थी।
- **प्रयुक्त तकनीक: "शिफ्ट और स्टैक" विधि**
  - प्रत्येक चंद्रमा की गति पर नज़र रखने के लिए आकाश के क्रमिक चित्र लिये गए।
  - इन चित्रों को चमक बढ़ाने के लिए संयोजित किया गया, जिससे चंद्रमा दिखाई देने लगे।

स्रोत:

- Indian Express - Saturn's newly discovered moons

जैविक हथियार सम्मेलन

संदर्भ

26 मार्च 2025 को जैविक हथियार सम्मेलन के लागू होने की 50वीं वर्षगांठ थी।

जैविक हथियार सम्मेलन (Biological Weapons Convention-BWC) के बारे में -

- **BWC पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है जो सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाती है। यह 26 मार्च 1975 को लागू हुई थी।**
    - **जैविक हथियार** रोग पैदा करने वाले जीव या विषैले पदार्थ हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कवक, जिनका सैन्य या आतंकवादी उद्देश्यों के लिए जानबूझकर मनुष्यों, जानवरों या पौधों को नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **यह जैविक और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।**
- **इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैविक विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए।**
- इस कन्वेंशन पर स्विटजरलैंड के जिनेवा में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन द्वारा बातचीत की गई थी।
- **सदस्य: 188 देश (भारत भी सदस्य है)।**
    - **जिन राज्यों ने न तो BWC पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसकी पुष्टि की है:** चाड, जिबूती, इरीट्रिया, इजरायल।

BWC के समक्ष चुनौतियां -

- **सत्यापन तंत्र का अभाव:**
    - अन्य निरस्त्रीकरण संधियों (जैसे, रासायनिक हथियार सम्मेलन - सीडब्ल्यूसी) के विपरीत, **BWC** में कोई औपचारिक निरीक्षण प्रणाली नहीं है।
- **उभरते जैव-प्रौद्योगिकीय खतरे**:
    - **सिंथेटिक जीवविज्ञान, आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी** में प्रगति से नये खतरे पैदा हो रहे हैं।

स्रोत: UN - BWC

समाचार संक्षेप में

टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास

- **यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रि-सेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास है।**
- **उद्देश्य**: HADR संचालन के लिए अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना और संकटों और आकस्मिकताओं के दौरान भारतीय और अमेरिकी संयुक्त कार्य बलों (JTF) के बीच सुचारू समन्वय की सुविधा प्रदान करना।
- **इस अभ्यास का चौथा संस्करण 1 अप्रैल से 13 अप्रैल, 2025 तक भारत के पूर्वी समुद्र तट पर होगा।**

स्रोत: PIB - Tiger Triumph

समर्थ उद्योग भारत 4.0

- **यह "भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने" की योजना के तहत एक पहल है।**
  - इस योजना का उद्देश्य भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के बीच स्मार्ट विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाना है।
- यह एक अखिल भारतीय, मांग-संचालित योजना है जो भारत में स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0 अपनाने पर केंद्रित है।
- यह पहल स्वचालन, डेटा एक्सचेंज, साइबर-भौतिक प्रणाली, IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), क्लाउड कंप्यूटिंग और AI-संचालित विनिर्माण समाधानों पर केंद्रित है।
- **इस पहल के तहत चार स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (SAMARTH) केंद्र स्थापित किए गए हैं।**

स्रोत: PIB - SAMARTH UDYOG BHARAT 4.0

NITI NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल

- यह 30 वर्षों (1990-91 से 2022-23) तक फैले भारतीय राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों पर डेटा का एक व्यापक भंडार है।
- यह डेटा-संचालित नीतिगत निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए शोध रिपोर्ट, विशेषज्ञ टिप्पणियाँ और राजकोषीय विश्लेषण प्रदान करता है।
- **इसे नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के सहयोग से विकसित किया है।**
- **पोर्टल के लाभ:**
  - यह पोर्टल भारतीय राज्यों के लिए विश्वसनीय वित्तीय डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
  - यह राज्यों को राजकोषीय रणनीतियों की तुलना करने और अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने में मदद करेगा।
  - यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए डेटा-संचालित आर्थिक नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा।

स्रोत: PIB - States Economic forum portal

संपादकीय सारांश

भारत को अपनी हवा को स्वच्छ करने की आवश्यकता क्यों है?

संदर्भ

भारत का वायु प्रदूषण संकट एक मौसमी समस्या न होकर वर्ष भर चलने वाली, खामोश महामारी है।

भारत में वायु प्रदूषण की गंभीरता -

- **दुनिया के सबसे खराब वायु गुणवत्ता स्तरों में से एक:** भारत लगातार सबसे प्रदूषित देशों में शुमार है (उदाहरण के लिए, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत में हैं (IQAir द्वारा 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट)।
    - अधिकांश भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तथा पीएम 2.5 का स्तर अक्सर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है।
- **उच्च मृत्यु दर और स्वास्थ्य जोखिम:** आईसीएमआर (2019) के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण 1.7 मिलियन मौतों से जुड़ा था।
    - **लैंसेट काउंटडाउन** और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वायु प्रदूषण फेफड़ों के कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियों, स्ट्रोक और मधुमेह के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है।
- **बच्चों और कमजोर समूहों पर गंभीर प्रभाव:** प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से बच्चों के फेफड़ों के विकास पर असर पड़ता है, जिससे अस्थमा और श्वसन संक्रमण हो सकता है।
    - वृद्ध लोग तथा पहले से ही किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित लोग हृदय तथा श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं।
- **आर्थिक एवं उत्पादकता हानि:** वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष अरबों डॉलर की उत्पादकता की हानि होती है।
    - स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत से व्यक्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली दोनों पर बोझ पड़ता है।
- **मौसमी और वर्षभर का संकट:** जबकि पराली जलाने और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण सर्दियों में धुंध एक प्रमुख समस्या है, वहीं वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियों और बायोमास जलाने के कारण पूरे वर्ष उच्च प्रदूषण बना रहता है।
- **शहरी और ग्रामीण विभाजन:** जबकि शहरी क्षेत्र वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण से ग्रस्त हैं, भारत की 41% आबादी अभी भी खाना पकाने के लिए ठोस बायोमास ईंधन पर निर्भर है, जिससे सालाना 340 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जित होता है और घर के अंदर वायु प्रदूषण बिगड़ता है।

वायु प्रदूषण से निपटने में भारत कहां पीछे है?

- **खंडित शासन और खराब समन्वय:** वायु प्रदूषण एक बहु-क्षेत्रीय मुद्दा है जिसके लिए मंत्रालयों (पर्यावरण, परिवहन, उद्योग, शहरी विकास) के बीच समन्वय की आवश्यकता है, लेकिन भारत में एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव है।
    - उदाहरण: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) केंद्रीय स्तर पर क्रियान्वित किया जाता है, लेकिन स्थानीय प्राधिकारियों में क्रियान्वयन क्षमता और वित्त पोषण संबंधी स्पष्टता का अभाव है।
- **अपर्याप्त बजट और संसाधन आवंटन:** भारत का NCAP बजट चीन के वायु गुणवत्ता व्यय का 1% से भी कम है (पांच वर्षों में ~ 11,542 करोड़ बनाम 22 लाख करोड़ रुपये)।
    - नौकरशाही देरी और अस्पष्ट जवाबदेही के कारण कम निधि उपयोग (2019-2023 के बीच केवल 60%)।
- **कमजोर निगरानी एवं आंकड़ों में अंतराल:** उत्सर्जन में कमी पर नज़र रखने के बजाय, परिवेशी वायु गुणवत्ता के आंकड़ों पर निर्भरता, जो मौसम के कारण उतार-चढ़ाव करती है।

  - उत्सर्जन हॉटस्पॉट (अपशिष्ट जलाना, यातायात भीड़, औद्योगिक प्रदूषण) पर उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा का अभाव।
- **संरचनात्मक सुधारों के बिना उच्च तकनीक समाधानों पर अत्यधिक निर्भरता:** स्मॉग टावर और एआई डैशबोर्ड आशाजनक दिखते हैं, लेकिन वे बायोमास दहन, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे मुख्य प्रदूषण स्रोतों का समाधान नहीं करते हैं।
  - कई वैश्विक शहरों ने उच्च तकनीक वाले उपकरणों को अपनाने से पहले प्रणालीगत परिवर्तनों (स्वच्छ ईंधन, उत्सर्जन नियंत्रण) को प्राथमिकता दी।
- **ग्रामीण एवं अनौपचारिक क्षेत्रों की उपेक्षा:** प्रदूषण नियंत्रण नीतियां मेट्रो शहरों पर केंद्रित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों और अनौपचारिक उद्योगों (ईंट भट्टे, लघु-स्तरीय विनिर्माण) की उपेक्षा की जाती है।
  - लक्षित हस्तक्षेप के बिना, इन क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ता रहेगा।
- **तत्काल, मापनीय समाधानों का अभाव:** स्थानीय सरकारों के लिए अल्पकालिक, कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रमों के बजाय दीर्घकालिक अनुसंधान पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
  - शहरों के पास तत्काल हस्तक्षेप (जैसे पुराने वाहनों को हटाना या औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को उन्नत करना) के लिए अलग से धन का अभाव है।

क्या किया जाने की जरूरत है?

- **डेटा-संचालित, चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाएं (कैलिफोर्निया मॉडल):**
  - **चरण I:** प्रमुख स्थानीय प्रदूषण स्रोतों (वाहन प्रकार, औद्योगिक क्षेत्र, ठोस ईंधन उपयोग) की पहचान करना।
  - **चरण II:** सरकारी वित्तपोषण को सीधे उत्सर्जन कम करने वाली कार्रवाइयों से जोड़ना (जैसे, डीजल बसों में सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन)।
  - **चरण III:** केवल वायु गुणवत्ता स्तर पर ही नहीं, बल्कि उत्सर्जन में कमी पर भी नज़र रखकर प्रगति को मापना।
- **बजट और लक्षित निवेश में वृद्धि (चीन की वायु सफाई रणनीति):** चीन ने पांच वर्षों में 22 लाख करोड़ रुपये खर्च किए, कोयला संयंत्रों को बंद किया, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित किया और औद्योगिक प्रक्रियाओं को उन्नत किया।
  - भारत को परिवहन, उद्योग और घरेलू ऊर्जा पर स्पष्ट व्यय लक्ष्यों के साथ एक समर्पित, दीर्घकालिक वायु गुणवत्ता बजट की आवश्यकता है।
- **स्थानीय शासन को मजबूत करना (ब्राजील का समुदाय-आधारित अपशिष्ट मॉडल):** ब्राजील का समुदाय-आधारित अपशिष्ट मॉडल टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक क्षेत्रों के बीच साझेदारी पर जोर देता है।
  - वायु गुणवत्ता प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण करना, नगरपालिकाओं को प्रत्यक्ष निधि और निर्णय लेने की शक्तियों से सशक्त बनाना।
- **संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना (सेंसर से पहले लंदन का कोयला प्रतिबंध):** भारत को पुरानी औद्योगिक प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और सख्त ईंधन नियमों को लागू करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **स्वच्छ विकल्पों को प्रोत्साहित करना (गरीब समुदायों में कैलिफोर्निया का पुनर्निवेश):** भारत को प्रदूषण से संबंधित राजस्व को किफायती स्वच्छ ऊर्जा समाधानों जैसे ग्रामीण परिवारों के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सब्सिडी में पुनर्निर्देशित करना चाहिए।
- **जवाबदेही लागू करना (ईयू की सख्त निगरानी प्रणाली):** भारत को वास्तविक समय प्रदूषण दंड, नागरिक रिपोर्टिंग तंत्र और वायु गुणवत्ता पर पारदर्शी सार्वजनिक डेटा के साथ मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।

स्रोत: [The Hindu: Why India needs to Clean its Air]

गलत सूचना के खतरे से निपटना

संदर्भ

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 में गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं को सर्वोच्च श्रेणी के अल्पकालिक वैश्विक खतरे के रूप में रेखांकित किया गया है।

भारत में गलत सूचना के खतरे से निपटने की आवश्यकता -

- **इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का पैमाना**: भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 900 मिलियन को पार करने वाली है, जिससे यह डिजिटल गलत सूचनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाएगा।
- **राजनीतिक और सामाजिक हेरफेर:** फर्जी खबरें, डीपफेक और दुष्प्रचार का प्रसार मतदाता व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है और लोकतंत्र को अस्थिर कर सकता है।
- **आर्थिक एवं कूटनीतिक प्रभाव**: गलत सूचना उपभोक्ता बहिष्कार, आर्थिक संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ावा देती है, जिससे निवेशकों का विश्वास और द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होते हैं।
- **विदेशी दुष्प्रचार खतरे**: भारत को 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद से लगातार चीनी दुष्प्रचार का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण टिकटॉक सहित 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- **मीडिया में विश्वास में गिरावट**: मुख्यधारा के मीडिया की विश्वसनीयता खोने के कारण, नागरिक सोशल मीडिया पर अधिक भरोसा करते हैं, जहां 46% गलत सूचना राजनीतिक, 33.6% सामान्य और 16.8% धार्मिक होती है (इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और साइबरपीस फाउंडेशन की रिपोर्ट)।
- **भारत के युवा लाभांश के लिए जोखिम**: झूठे आख्यान जनमत, सांप्रदायिक सद्भाव और शैक्षिक जागरूकता को प्रभावित करते हैं, जिससे भारत की युवा आबादी प्रमुख लक्ष्य बन जाती है।

सुझावात्मक उपाय -

- **एल्गोरिदम संबंधी निरीक्षण और डेवलपर को कौशल प्रदान करना:** एआई और सोशल मीडिया कंपनियों को एल्गोरिदम संबंधी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पूर्वाग्रह से प्रेरित गलत सूचना को रोकने के लिए डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।
- **तथ्य-जांच तंत्र को मजबूत करना:** शक्ति - भारत चुनाव तथ्य-जांच सामूहिक जैसी पहलों का विस्तार करना और प्रारंभिक पहचान के लिए वास्तविक समय डीपफेक विश्लेषण इकाइयां स्थापित करना।
- **विनियामक सुधार और प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही:** बिग टेक की निगरानी के लिए सामग्री मॉडरेशन नीतियां, नियमित जोखिम आकलन और स्वतंत्र पर्यवेक्षी बोर्ड लागू करना।
    - विज्ञापन पारदर्शिता नियमों को लागू करना, ऑनलाइन राजनीतिक विज्ञापनों के लिए वित्तपोषण स्रोतों का खुलासा सुनिश्चित करना।
- **जन जागरूकता और डिजिटल साक्षरता:** डिजिटल दुष्प्रचार से निपटने के लिए अमिताभ बच्चन के साथ आरबीआई के अभियान जैसे वित्तीय साक्षरता मॉडल का विस्तार करना।
    - गलत सूचना की पहचान के लिए स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना।
- **सीमा पार सहयोग:** संयुक्त साइबर सुरक्षा पहल के माध्यम से विदेशी सूचना हेरफेर और हस्तक्षेप (एफआईएमआई) से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन के साथ काम करना।
- **लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा:** पत्रकारों और तथ्य-जांचकर्ताओं को राज्य या कॉर्पोरेट दबाव से बचाएं, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि कानूनों के कारण सेंसरशिप या अत्यधिक निगरानी न हो।

स्रोत: [The Hindu: Tackling the disinformation threat in India]

विस्तृत कवरेज

भारत-चीन संबंध

संदर्भ

1 अप्रैल **2025** को चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की **75**वीं वर्षगांठ थी।

संबंधों का विकास -

- **शुरूआती समय (1950-1960):**
  - **1947** में भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत और चीन दोनों के नेताओं, **जवाहरलाल नेहरू और माओत्से तुंग** ने साझा ऐतिहासिक और उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के आधार पर घनिष्ठ मित्रता की कल्पना की।
  - **1950** में, भारत ने **पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना** को मान्यता दी और राजनयिक संबंध स्थापित किए।
  - दोनों देशों ने **1954** में **पंचशील समझौते** पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया गया।
  - हालांकि, तिब्बत के क्षेत्र पर सीमा विवाद ने तनाव को बढ़ा दिया, जिसके कारण **1962** में **चीन-भारत युद्ध** हुआ, जिसमें चीन ने निर्णायक रूप से जीत हासिल की।
- **सामरिक दूरी (1970-1980 का दशक):**
  - युद्ध के बाद, भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध बहुत कम रह गए थे, और अविश्वास की स्थिति बनी हुई थी।
  - सोवियत संघ के साथ भारत की बढ़ती निकटता और यूएसएसआर के साथ चीन की प्रतिद्वंद्विता ने संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया।
  - **1978 में, चीन में डेंग शियाओपिंग के आर्थिक सुधारों ने आर्थिक संवृद्धि और खुलेपन की अवधि की शुरुआत की, जिससे बेहतर संबंधों का मार्ग प्रशस्त हुआ।**
- **सामान्यीकरण के प्रयास (1980 का दशक):**
  - 1980 के दशक में, दोनों देशों ने **कूटनीतिक जुड़ाव और विश्वास-निर्माण** उपायों के माध्यम से संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश की।
  - 1988 में, भारतीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया, जो संबंधों को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम था।
  - दोनों पक्षों ने विवादित सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे 2012 में **परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC)** की स्थापना हुई।
- **शीत युद्ध के बाद का युग (1990 के दशक के बाद):**
  - शीत युद्ध की समाप्ति के साथ, **भारत और चीन** दोनों ने अधिक सहयोगी संबंध विकसित करने का लक्ष्य रखा।
  - आर्थिक जुड़ाव उनके जुड़ाव का एक केंद्रीय स्तंभ बन गया, जिसमें व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
  - 2003 में, दोनों देशों ने सीमा प्रश्न के समाधान करने के लिए विशेष प्रतिनिधि तंत्र के गठन पर सहमति व्यक्त की।
  - हालांकि, सीमा विवाद, विशेष रूप से **अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर**, कायम रहे और कभी-कभी सैन्य गतिरोध की स्थिति भी बनी।
- **हालिया घटनाक्रम**: हाल के वर्षों में, भारत-चीन संबंधों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

भारत-चीन सीमा विवाद क्षेत्रवार

- भारत-चीन सीमा विवाद मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों, अर्थात - पश्चिमी क्षेत्र, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में विभाजित हैं।

पश्चिमी क्षेत्र

- **भारत पश्चिमी क्षेत्र में चीन के साथ लगभग 2152 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह जम्मू और कश्मीर और झिंजियांग के बीच स्थित है और अक्साई चिन इस क्षेत्र का विवादित क्षेत्र है।**
- अक्साई चिन का विवाद औपनिवेशिक साम्राज्य के समय से जुड़ा है, जो भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा का सीमांकन करने में विफल रहा।
- **जॉनसन रेखा और मैकडोनाल्ड रेखा** अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित दो सीमा रेखाएँ थीं।
- **भारत जॉनसन लाइन (1865 में प्रस्तावित) को मानता है, जिसने अक्साई चिन को जम्मू कश्मीर, अर्थात भारत के नियंत्रण में में रखा, जबकि मैकडोनाल्ड लाइन (1893 में प्रस्तावित) ने अक्साई चिन को चीन के अधीन रखा, इसलिए चीन इसे मुख्य सीमा रेखा मानता है।**
- वर्तमान में, **LAC जम्मू और कश्मीर के भारतीय क्षेत्रों को अक्साई चिन से अलग करने वाली** सीमा रेखा है जो चीन द्वारा दावा किए गए अक्साई चिन के समवर्ती है।

मध्य क्षेत्र

- यह लगभग 625 किलोमीटर लंबी सीमा है, यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ दोनों देशों के बीच कम मतभेद हैं, और यह **लद्दाख और नेपाल की सीमा से** लगी हुई है।
- **उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत के चीनी कब्जे वाले क्षेत्र की सीमा** को छूती है।

पूर्वी क्षेत्र

- यह चीन के साथ 1140 किलोमीटर लंबी सीमा है जो **पूर्वी भूटान से तिब्बत, भारत और म्यांमार के त्रिसंगम पर तालु दर्रे तक विस्तृत** है।
- इस सीमा रेखा को **मैकमोहन रेखा** कहा जाता है। चीन मैकमोहन रेखा को अवैध मानता है।
- **शिमला समझौता** जो भा**रत में तिब्बत और तिब्बत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 1914** में हुआ था, हालांकि चीन के प्रतिनिधियों ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया था।

सहयोग के क्षेत्र -

राजनीतिक सहयोग

- **राजनयिक संबंधों की स्थापना**: भारत **1950** में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ **राजनयिक संबंध स्थापित** करने वाला **पहला गैर-समाजवादी ब्लॉक देश** बन गया।
- **उच्च-स्तरीय यात्राएँ**: शीर्ष नेताओं द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान, जैसे कि **1988** में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यात्रा और **2014, 2015** और **2018** में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।

आर्थिक सहयोग

- **द्विपक्षीय व्यापार**: भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार **2023** में **136.2** बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
  - भारत चीन से **"प्रोजेक्ट निर्यात"** के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक बन गया।
- **निवेश**: **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के अनुसार, अप्रैल, **2000** से दिसंबर, **2021** के दौरान भारत में केवल **0.43%** हिस्सेदारी या **$2.45** बिलियन कुल **FDI** इक्विटी प्रवाह के साथ चीन **20**वें स्थान पर है।
  - भारत में चीनी निवेश और चीन में भारतीय निवेश बढ़ रहे हैं, विशेषकर आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में।
- **आर्थिक क्षमता**: **2.7** बिलियन से अधिक लोगों के संयुक्त बाजार और दुनिया के कुल जीडीपी का **20%** प्रतिनिधित्व करने वाले जीडीपी के साथ, भारत और चीन के बीच आगे आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग

- दोनों देशों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, संयुक्त अनुसंधान कार्यशालाएँ आयोजित की हैं।

- भारत के NASSCOM (नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज) ने सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाते हुए, चीन में डालियान, गुइझोऊ और ज़ुझोउ में तीन IT कॉरिडोर स्थापित किए।

सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं लोगों के मध्य आदान-प्रदान

- 1981 में, तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों की तीर्थयात्रा पुनः प्रारम्भ हुई।
- 10 से अधिक सहयोगी शहरों/प्रांतों की स्थापना तथा कार्मिक आदान-प्रदान में वृद्धि, एक मिलियन से अधिक आदान-प्रदान दर्ज किए गए।
- चीन में युन्नान मिंज़ू विश्वविद्यालय, योग में मास्टर डिग्री प्रदान करने वाला भारत के बाहर पहला विश्वविद्यालय बन गया।
- चीन में भारतीय समुदाय का विस्तार हो रहा है, वर्तमान अनुमान के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 94,439 है।
- इस समूह के एक महत्वपूर्ण हिस्से में 18,000 से अधिक छात्र शामिल हैं, जो पूरे चीन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकित हैं।

रक्षा सहयोग

सीमित रक्षा सहयोग के बावजूद, उल्लेखनीय प्रगतियाँ हुई हैं:

- 2016 में रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई।
- 2017 में "हैंड-इन-हैंड" नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजीय हुआ, जिसका उद्देश्य आपसी समझ एवं आतंकवाद-रोधी कौशल में सुधार करना था।
- तीसरे पक्ष के देशों में सहयोग के एक नए मॉडल के रूप में, अफगान राजनयिकों के लिए सफल संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित, "चीन-भारत प्लस" मॉडल का कार्यान्वयन।

बहुपक्षीय सहयोग

- **BRICS:** भारत और चीन, ब्राजील, रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के साथ, ब्रिक्स में भाग लेते हैं, जिससे वैश्विक तथा द्विपक्षीय मामलों पर संवाद को बढ़ावा प्राप्त होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था जैसी पहल, वैकल्पिक वित्त को बढ़ावा देती हैं।
- **शंघाई सहयोग संगठन (SCO):** दोनों देश **2017** में **SCO** में शामिल हुए तथा सुरक्षा, भू-राजनीति एवं क्षेत्रीय अर्थशास्त्र पर सहयोग करते हुए, विविध अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सहभागिता को सुविधाजनक बनाया।
- **रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय (RIC): RIC** वैश्विक चुनौतियों, आतंकवाद विरोधी और क्षेत्रीय चिंताओं पर संयुक्त रुख को सक्षम बनाता है, जो भारत तथा चीन को वैश्विक मामलों पर एकजुट होने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB): AIIB** के संस्थापक सदस्यों के रूप में, भारत और चीन वित्तपोषण एवं परियोजना सहायता के माध्यम से, एशिया में बुनियादी अवसंरचना के विकास का समर्थन करते हैं।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO):** भारत और चीन **WTO** के भीतर सहयोग करते हैं, संयुक्त रूप से निष्पक्ष व्यापार की वकालत करते हैं, जिसमें विकसित देशों द्वारा व्यापार-विकृत करने वाली सब्सिडी को हटाने पर बल दिया जाना भी शामिल है।
- **BASIC**: भारत और चीन, जो कि **BASIC** गठबंधन का हिस्सा हैं, जलवायु परिवर्तन पर सहयोग करते हैं, जलवायु न्याय एवं समतापूर्ण वैश्विक पर्यावरणीय कार्रवाई की वकालत करते हैं।

चुनौतियाँ क्या हैं?

- 2017 में डोकलाम गतिरोध, जिसमें विवादित डोकलाम पठार पर भारतीय एवं चीनी सैनिकों का आमना-सामना हुआ, ने संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया।

- **दशकों में हुई सबसे घातक झड़प जून 2020 में गलवान घाटी में हुई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्ष हताहत हुए।**
- चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता रहता है, और इसे "दक्षिण तिब्बत" कहता है, जिसे भारत द्वारा दृढ़ता से खारिज किया जाता रहा है।
- चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को निरंतर स्टेपल वीजा जारी करना भी, विवाद का विषय रहा है।
- चीन LAC (वास्तविक नियंत्रण रेखा) के अपने हिस्से पर सक्रिय रूप से बुनियादी अवसंरचना विकसित कर रहा है, जिसे भारत अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए चुनौती मानता है।
- **जल विवाद:** चीन द्वारा औपचारिक जल-बंटवारा संधि के बिना ब्रह्मपुत्र नदी (त्सांगपो) के ऊपरी भाग में बांधों का निर्माण भारत के लिए खतरा बन गया है, जिससे जल उपलब्धता एवं बाढ़ को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
- **दलाई लामा और तिब्बत:** चीन, भारत पर दलाई लामा की उपस्थिति और भारत तथा अन्य देशों में चीन के विरुद्ध तिब्बतियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के कारण, तिब्बत में अशांति फैलाने का आरोप लगाता है।
- **भूटान और नेपाल:** चीन, भूटान और नेपाल के साथ भारत की भूमिका और संबंधों की आलोचना करता है तथा उनके संबंधों को प्रभावित करने एवं भारत के विरुद्ध "चीन कार्ड" खेलने का प्रयास करता है।
- **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव:** भारत चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), विशेष रूप से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का विरोध करता है, जो पाकिस्तान द्वारा दावा किए गए भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है।
- **चीन-पाकिस्तान गठजोड़:** सैन्य, परमाणु और मिसाइल क्षमताओं में पाकिस्तान को चीन का समर्थन, साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रयासों को अवरुद्ध करना, भारत की सुरक्षा के लिए चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- **हिंद महासागर क्षेत्र:** श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में सैन्य चौकियों, बंदरगाह अधिग्रहण एवं आर्थिक प्रभाव सहित चीन की बढ़ती उपस्थिति, इस क्षेत्र में भारत के पारंपरिक प्रभाव के लिए चिंताएँ उत्पन्न करती है।
    - **स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स:** भारत के आसपास के विभिन्न देशों, जैसे- श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश तथा म्यांमार में चीन की रणनीतिक उपस्थिति एवं बुनियादी अवसंरचना का विकास, घेरेबंदी की चिंता को बढ़ाता है।

आगे की राह

ड्रैगन-एलीफैंट टैंगो के लिए पाँच दिशानिर्देश

1. **पारस्परिक सम्मान:** एक भारतीय कहावत "जैसा देस वैसा भेस" पर्यावरण के अनुकूल होने की आवश्यकता को रेखांकित करती है तथा एक दूसरे के अद्वितीय सांस्कृतिक एवं विकास पथ का सम्मान करने के महत्व को दर्शाती है।
2. **पारस्परिक समझ:** दोनों देशों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्षों के दौरान एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति व्यक्त की।
    - चीन, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की विदेश नीति का समर्थन करता है तथा अपने **1.4** अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के भारत के प्रयासों को समझता है।
    - आपसी समझ एवं राजनीतिक विश्वास को बढ़ाने के लिए, संवाद और संचार बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
3. **पारस्परिक विश्वास:** दोनों देशों को आपसी संदेह से बचना चाहिए तथा एक-दूसरे के रणनीतिक प्रयोजनों को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए।
    - राजनीतिक विश्वास, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को सक्षम बनाता है एवं मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान को सुदृढ़ करता है, जो संबंधों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
4. **पारस्परिक समायोजन**

- निकटस्थ पड़ोसियों के लिए मतभेद और मनमुटाव स्वाभाविक है, किन्तु उन्हें ठीक से संभालना तथा एक-दूसरे के मूल हितों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है।
- संबंधों को मतभेदों से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए और कभी-कभी असहमति के बावजूद सहयोग जारी रहना चाहिए।

5. **पारस्परिक उपलब्धि:** दोनों देश राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण चरण में हैं एवं उनके व्यापक साझा हित हैं।
   - चीन का व्यापक आधुनिकीकरण और भारत का "विकसित भारत **2047**" का दृष्टिकोण, आपसी सफलता के अवसर प्रदान करता है।
   - दोनों देशों का लक्ष्य वैश्विक दक्षिण के भीतर एकता एवं सहयोग को बढ़ावा देना तथा मानव जाति के लिए साझा भविष्य की दिशा में कार्य करना है।

स्रोत: **China-India ties across the past and into the future**

भारत-चिली संबंध

संदर्भ

चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक फॉन्ट 1 से 5 अप्रैल तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं।

चिली

- **राजधानी**: सैंटियागो
- **सीमा**: उत्तर में **पेरू,** उत्तर-पूर्व में **बोलीविया,** पूर्व में **अर्जेंटीना, तथा** दक्षिण में **ड्रेक पैसेज (दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका को जोड़ने वाला अशांत जलमार्ग) तक फैली हुई है।**
- **प्रमुख स्थान: अटाकामा रेगिस्तान**, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक (हम्बोल्ट महासागर धारा के कारण**), सोडियम नाइट्रेट उर्वरक** का एक प्रमुख स्रोत है।
    - **चुक्विकामाटा**: चिली का सबसे बड़ा तांबा खनन शहर।

भारत के लिए चिली का महत्व -

चिली भारत के लिए व्यापार, निवेश, खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा और कूटनीतिक सहयोग सहित कई क्षेत्रों में रणनीतिक महत्व रखता है।

- **व्यापार और आर्थिक महत्व:**
    - **दक्षिण अमेरिका में 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार**: द्विपक्षीय व्यापार 2020 में 1.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 3.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया)।
    - **अधिमान्य व्यापार समझौता (पीटीए)**: भारत-चिली पीटीए के 2,829 टैरिफ लाइनों तक विस्तार से व्यापार को बढ़ावा मिला है।
    - **दोहरा कराधान परिहार समझौता:** भारत और चिली के बीच 9 मार्च 2020 को हस्ताक्षर किए गए।
- **संसाधन-समृद्ध भागीदार**:
    - **लिथियम और तांबा भंडार**: **चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है और लिथियम के शीर्ष तीन उत्पादकों में से एक है,** जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है।
    - **खनन में संभावित सहयोग**: भारत के खनन प्रतिनिधिमंडलों ने चिली में निवेश के अवसरों की खोज की है, विशेष रूप से तांबा और लिथियम निष्कर्षण में।
- **कूटनीतिक और सामरिक महत्व**:
    - **संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए समर्थन**: चिली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का लगातार समर्थन किया है।
    - **वैश्विक शासन और बहुपक्षीय मंच**: दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और जलवायु वार्ता में सहयोग करते हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु सहयोग**:
    - **हरित ऊर्जा में साझा हित**: भारत और चिली जलवायु कार्रवाई, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत प्रतिबद्धता रखते हैं।

        - नवंबर 2017 में **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर** भी हस्ताक्षर किए।
    - **हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग**: चिली हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी है, एक ऐसा क्षेत्र जहां भारत भी विस्तार कर रहा है।
- **सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंध**
    - **भारतीय संस्कृति की बढ़ती लोकप्रियता**: योग, आयुर्वेद और भारतीय आध्यात्मिक आंदोलनों का चिली में मजबूत समर्थन है।
    - **भारतीय प्रवासी**: भारतीय मूल के लगभग 4,000 लोग, मुख्यतः सिंधी समुदाय से, व्यवसाय और वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **लैटिन अमेरिकी प्रवेशद्वार**: चिली भारत को लैटिन अमेरिकी बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है और क्षेत्र में आर्थिक विस्तार के लिए एक सेतु का काम करता है।

स्रोत: **PIB: PRESIDENT OF INDIA HOSTS PRESIDENT OF CHILE**